



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार 30 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 20 जून, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)
2. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “ख”)
3. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी “ग”)
4. मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2000-2001, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सरकार का सिविल प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2003 के प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
7. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोड़ी पाली का उच्चीकरण कर इण्टरमीडिएट की स्वीकृति के सम्बन्ध में” श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोडी पाली के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
10. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
12. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
13. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।
14. मुख्यमंत्री, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
15. मुख्यमंत्री, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।
16. मुख्यमंत्री, इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
17. मुख्यमंत्री, इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।
18. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“घ”)
19. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

20. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

- 1- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2390680 हजार (दो सौ उन्तालीस करोड़ छः लाख अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ङ))

- 2- आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 39704 हजार (तीन करोड़ सत्तानबे लाख चार हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी “च”)

- 3- पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 345300 हजार (चौतीस करोड़ तिरपन लाख) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी “छ”)

21. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा असरकारी विधेयक “उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज विधेयक, 2003” को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

22. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा असरकारी विधेयक “उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज विधेयक, 2003” को पुरःस्थापित करेंगे।

23. श्रीमती विजय बड़वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वाराखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।”

24. श्री काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।”

25. श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का यह सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।”

26. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण:-

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार

“इस सदन का सुविचारित मत है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाय।”

2. श्री प्रकाश पन्त

“इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अन्दर आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।”

3. काजी निजामुद्दीन

“इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जल संस्थान/निगम द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे जल के जल कर की वसूली हेतु सुनिश्चित नीति निर्धारित की जाय।”

4. श्री सुरेश चन्द्र जैन

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि रुड़की, जनपद हरिद्वार में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय।”

5. डा० नारायण सिंह जन्तवाल

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ब्लाक प्रमुख एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाय।”

27. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारु, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल, निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।”

28. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में मूलनिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाय।”

29. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तथा मुनस्यारी को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन शीघ्रातिशीघ्र किया जाय।”

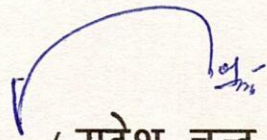
30. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

31. जनपद नैनीताल में गौला नदी से खुरिया खत्ता, शीशम भुजिया, श्रीलंका टापू-बिन्दुखत्ता, रावत नगर, हाटाग्राम में कृषि क्षेत्र में कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरीशचन्द्र दुर्गापाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2003 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत, सिंचाई मंत्री का वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून:

दिनांक : 20 जून, 2003


(महेश चन्द्र)
सचिव।



द्वितीय सत्र, 2003

का द्वितीय शुक्रवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 20 जून, 2003)

नत्थी (क)

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत

5.6.2003

श्री मातबर सिंह कण्डारी

7.6.2003

****1.** क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग ने उत्तरांचल के खाद्य उपभोक्ताओं के लिए नये राशन कार्ड छपाये हैं? यदि हाँ, तो इन राशन कार्डों की संख्या कितनी है तथा इनकी छपाई में प्रति राशन कार्ड कितना व्यय किया गया?

खाद्य

श्री मदन कौशिक

5.6.2003

****2.** क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सार्स के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा इसके रोकथाम के लिए कोई तैयारी की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली 1958, के नियम
29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न

श्री काजी निजामुद्दीन
5.6.2003

*.क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में किसानों को
उर्वरकों पर वित्तीय वर्ष 2003-04 में सब्सिडी देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो
कब तक और किस उर्वरक पर? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

श्री प्रेमानन्द महाजन 19.5.2003 श्री नारायण पाल 5.6.2003	*1. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में परिवहन निगम का गठन कब तक हो जायेगा तथा निगम का प्रशासनिक ढाँचा क्या होगा?	परिवहन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 22.5.2003	*2. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के पैटर्न पर गंगोत्री-यमुनोत्री तीर्थ धाम यात्रा प्रबन्धन हेतु किसी समिति के गठन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो समिति का गठन कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय सोम के तारा. 5 में स्था.
श्री मातबर सिंह कण्डारी 24.5.2003	*3. क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की आबकारी नीति बना ली गई है? यदि हाँ, तो क्या आबकारी नीति की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	आबकारी
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 24.5.2003 श्री मातबर सिंह कण्डारी 5.6.2003	*4. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना में दिये जाने वाले ऋण प्रक्रिया के सरलीकरण पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 26.5.2003	*5. क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की किस स्तर की अनुमति की आवश्यकता है? क्या प्रदेश सरकार ने उक्त अनुमति प्राप्त की है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	पंचम सोम के तारा. 3 में स्था.
डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी 26.5.2003	*6. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य कर्मचारियों की भांति निगम के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र भी 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन

श्रीमती विजय बड़वाल 26.5.2003	*7. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि पूर्व सरकार ने श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निदेशालय श्रीनगर में शीघ्र स्थापित किये जाने के निर्देश जारी करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री प्रकाश पंत 4.6.2003	*8. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या स्थानीय स्तर पर चिकित्सालयों का प्रबन्धन करने तथा चिकित्सालयों के निजीकरण की सरकार की कोई योजना है?	स्वास्थ्य
श्री हरबंस कपूर 5.6.2003	*9. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार समस्त धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थाओं के आस पास शराब, गुटका, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	तृतीय शुक के तारा. 6 में स्था.
डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल 5.6.2003	*10. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि भूमि में कृषि खनिज तत्वों की प्रतिवर्ष कमी आ रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?	कृषि
श्री मदन कौशिक 6.6.2003	*11. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बीज निगम में लाखों रुपये के भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रबन्ध निदेशक, सहायक विपणन अधिकारी व एक राईस मिल मालिक के खिलाफ उधमसिंह नगर जनपद में मुकदमा दर्ज किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या विभागीय कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

अतारांकित प्रश्न

डा० नारायण सिंह जंतवाल 24.5.2003	1. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार नैनीताल के बी.डी. पाण्डे चिकित्सालय में चिकित्सकों के लिए आवास निर्माण करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा० अनसूया प्रसाद मैखुरी 26.5.2003	2. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ एवं चमोली में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो किस-किस स्थान पर तथा ये कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे?	स्वास्थ्य

श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.5.2003	3. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मध्ये पर्यटन स्थल "दयारा" में पशुओं के चरने से बुग्याल को क्षति पहुँच रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पशुओं से बुग्याल की सुरक्षा हेतु क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय मंगल के अता.18 में स्था.
श्री तसलीम अहमद 26.5.2003	4. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि मण्डी समिति ज्वालापुर जि० हरिद्वार ने ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड़ को ग्रामगोद योजना के अन्तर्गत गोद लिया था इस गाँव का पहले भी विकास के लिए चयन किया गया था? यदि हाँ, तो क्या इसमें विकास कार्यों की चयनित करने की कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 27.5.2003	5. क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मैक्रोमेनेजमेन्ट योजनान्तर्गत किन-किन काश्तकारों को वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 27.5.2003	6. क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना कब तक कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
डा. अनसूया प्रसाद मैखुरी 28.05.2003	7. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग में जनपद चमोली में सृजित स्वागत अधिकारी, प्रधान लिपिक, वरिष्ठ लिपिक टंकक, चालक तथा चपरासी के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 28.05.2003	8. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के लिये सरकार के पास कोई योजना प्रस्तावित है ?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.05.2003	9. क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कटखेत कब स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त अस्पताल में चिकित्सक/फार्मासिस्ट आदि स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	स्वास्थ्य
डा० अनसूया प्रसाद मैखुरी 29.05.2003	10. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पंतनगर विश्वविद्यालय की शाखायें कितने जनपदों में संचालित हैं और उसका स्वरूप क्या है? क्या जनपद चमोली में भी कृषि विश्वविद्यालय की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

डा० अनसूया प्रसाद मैखुरी 30.05.2003	11. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या अनेक ऐसे क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मी है जो गत वर्षों एवं इससे अधिक अवधि से एक ही स्थान पर तैनात है? क्या ऐसे क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों को सुगम, दुर्गम तथा अतिदुर्गम क्षेत्रों में कमशः सेवा करने का अवसर दिये जाने की सम्भावना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 2.6.2003	12. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद टिहरीगढ़वाल के बेलेश्वर (चमियाला) चिकित्सालय को राज्य स्तर का दर्जा प्रदान कर उसमें सभी आधुनिक उपचार से संबंधित सुविधायें उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 2.6.2003	13. क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून में बिरला यामाहा कम्पनी द्वारा अकारण ही कुछ कर्मकारों को कम्पनी से पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से सस्पेंड किया गया है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री प्रीतम सिंह पंवार 2.6.2003	14. क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वनचौरा में भवन क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण कार्य करवा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 2.6.2003	15. क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के ओड़गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 3.6.2003	16. क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा संस्थानों व पॉलिटेक्नीकों में वार्षिक कैलेण्डर लागू है? यदि नहीं, तो आगामी सत्र से वार्षिक कैलेण्डर लागू कर कैलेण्डर के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 3.6.2003	17. क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्नीक थलनदी पौड़ी गढ़वाल में माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में अनुदेशक स्टेनोग्राफी का पद कई वर्षों से रिक्त चला आ रहा है? यदि हाँ, तो छात्रों के हित में कब तक अनुदेशक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा

श्री प्रीतम सिंह पंवार 3.6.2003	18. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के गढ़ में होम्योपैथिक चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो चिकित्सक की कब तक तैनाती कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री नारायण पाल 31.5.2003	19. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार हल्द्वानी में निर्माणाधीन ट्रान्सपोर्ट नगर के विस्तार की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार परिवहन व्यवसाय के सभी वर्गों को नगर सीमा से ट्रान्सपोर्ट नगर में स्थानांतरित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय मंगल के अता.19 में स्था.
श्री बलबीर सिंह नेगी 4.6.2003	20. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितनी अंश:कालिक दार्ज्याँ हैं? क्या सरकार इनका मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 4.6.2003	21. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय-बूढ़ाकेदार में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है? क्या सरकार इस रिक्त पद पर शीघ्र तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 4.6.2003	22. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में भूमि कटाव के दृष्टिकोण से कौन-कौन से क्षेत्र संवेदनशील हैं? क्या सरकार इन संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि कटाव रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय बुध के अता.15 में स्था.
श्री बलबीर सिंह नेगी 4.6.2003	23. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर शीघ्र तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री हरबंस कपूर 5.6.2003	24. क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उ०प्र० संवर्ग के तदर्थ नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य से उ०प्र० राज्य के लिए कार्य मुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
मौ० शहजाद 5.6.2003	25. क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी लण्ढौरा रुड़की (हरिद्वार) द्वारा गत वर्ष 2002-2003 में जिला योजना मद से लगभग रु० 12.00 लाख की धनराशि का जी०आई० तार कय किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त तार का उपयोग किस कार्य हेतु किया गया?	कृषि

श्री हरिदास 19.5.2003	26. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार कलियर शरीफ के मेले को सरकारी मेला घोषित करने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 6.6.2003	27. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में पर्यटक आवास गृह जसोली रानीगढ़ कब से बन्द है? उक्त पर्यटक आवास गृह के बन्द होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त पर्यटक आवास गृह को ग0म0वि0नि0 को सौंपे जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री बलबीर सिंह नेगी 7.6.2003	28. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् जनपद टिहरी गढ़वाल के कितने लोगों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से सरकारी सेवा में सेवायोजित किया जा चुका है?	श्रम
श्री बलबीर सिंह नेगी 7.6.2003	29. क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली कस्बे में बस स्टेशन निर्माण किये जाने हेतु शिलान्यास किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उक्त बस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री हरबंस कपूर 6.6.2003	30. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा गुच्चू पानी देहरादून को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई गई थी? यदि हाँ, तो यह योजना कब बनाई गयी थी तथा इस पर कितना व्यय किया गया है?	द्वितीय मंगल के अता. 17 में स्था.
श्री हरबंस कपूर 6.6.2003	31. क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी रोड देहरादून स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे को आधुनिक सुविधाओं से और अधिक सुसज्जित करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो वह क्या है?	परिवहन
श्री बलबीर सिंह नेगी 7.6.2003	32. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय नई टिहरी में महिला पॉलीटेक्निक स्वीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा?	तकनीकी शिक्षा
मौ0 शहजाद 10.6.2003	33. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुस्लिम तीर्थ स्थल पिरान कलियर को वर्ष 2002-03 में विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
27.05.2003.

34. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि द्वाराहाट विकासखण्ड अन्तर्गत असगोली में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के मुख्य भवन, परिवार कल्याण उपकेन्द्र का निर्माण प्रकल्पशाखा, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवम् निर्माण निगम रानीखेत द्वारा करवाया जा रहा है? यदि हाँ, तो इन भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त निर्माण कार्य निविदा पद्धति से करवाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री नारायण पाल
5.6.2003

35. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्त में नानकमत्ता एक धार्मिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

नत्थी "घ"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक १९-०६-२००३ में दिनांक २० जून, २००३ से २६ जून, २००३ तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

जून, २००३

२० शुक्रवार

१. १२- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।
२. ०८- आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।
३. २६- पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।

असरकारी दिवस

४- श्री प्रकाश पन्त, सदस्य विधान सभा के निम्न लिखित असरकारी विधेयक का पुरःस्थापन:-
"उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज विधेयक, २००३"

५- निम्नलिखित लम्बित असरकारी संकल्पों पर चर्चा:-

(क) श्रीमती विजय बडधवाल, सदस्या विधान सभा द्वारा दिनांक ०४ अप्रैल, २००३ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।"

(ख) काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक ४ अप्रैल, २००३ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी:-

"इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

(ग) श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक ४ अप्रैल, २००३ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी:-

“ इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेल मार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नकद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।”

६. निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

- (क) श्री प्रीतम सिंह पंवार “ इस सदन का सुविचारित मत है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाय।”
- (ख) श्री प्रकाश पन्त “इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत आर्थिक आधार पर सभी वर्गों अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।”
- (ग) काजी निजामुद्दीन “इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जल संस्थान/निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जल के जलकर की वसूली हेतु सुनिश्चित नीति निर्धारित की जाय।”
- (घ) श्री सुरेश चन्द्र जैन “ इस सदन का सुनिश्चित मत है कि रूडकी जनपद हरिद्वार में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय।”
- (ङ) श्री नाराण सिंह जन्तवाल “ इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ब्लाक प्रमुख एवं अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाय।”

७. श्री नारायण पाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक ५ अप्रैल, २००३ को प्रस्तुत नियम-१०३ के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“ इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली को अन्य निर्बल, निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाय।”

८. श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-१०३ के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“ इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाय।”

९. श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-१०३ के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“ इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तथा मुनस्यारी को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन शीघ्रतिशीघ्र किया जाय।”

२१ शनिवार

बैठक नहीं होगी।

२२ रविवार

बैठक नहीं होगी।

२३ सोमवार

मा० प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा से सम्बद्ध विभाग

१. ११- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग चर्चा एवं मतदान।

मा० कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

१. १७- कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग चर्चा एवं मतदान।

मा० राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जनगणना मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

१. ०६- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

२. २५- खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

मा० वन, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग-

१. २७- वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।

२४ मंगलवार

मा० परिवहन, तकनीकी शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री से सम्बद्ध विभाग-

१. १६- श्रम व रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।

२. २४- परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।

मा० समाज कल्याण से सम्बद्ध विभाग-

१. १५- कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।

मा० सहकारिता, पशुपालन एवं दुग्ध विकास से सम्बद्ध विभाग-

१. १८- सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

२. २८- पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।

मा० उद्यान, खाद्य एवं ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग मंत्री से सम्बद्ध विभाग-

१. २३- उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान ।

25 बुधवार

-: 5 :-

मा0 ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री से सम्बद्ध विभाग

- 1- १३-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास
विभाग की अनुदान पर मांग,
चर्चा एवं मतदान -----
- 2- १९-ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान
पर मांग, चर्चा एवं मतदान -----

मा0 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई मंत्री से सम्बद्ध विभाग

- 1- २०-सिंचाई तथा बाढ़ विभाग की अनुदान
पर मांग, चर्चा एवं मतदान -----

मा0 लोक निर्माण, राज्य सम्पत्ति, संसदीय कार्य, सूचना, विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या

- 1- ०१-विधान सभा की अनुदान पर मांग,
चर्चा एवं मतदान विवाद नहीं होगा
- 2- ०२-राज्यपाल के अनुदान पर मांग,
चर्चा एवं मतदान विवाद नहीं होगा
- 3- ०३-मंत्रि-परिषद की अनुदान पर मांग,
चर्चा एवं मतदान विवाद नहीं होगा
- 4- १४-सूचना विभाग की अनुदान
पर मांग, चर्चा एवं मतदान -----
- 5- २२-लोक निर्माण विभाग की अनुदान
पर मांग, चर्चा एवं मतदान -----

26 गुरुवार

मा0 मुख्य मंत्री से सम्बद्ध कार्य विभाग

अनुदान संख्या

- 1- ०४-न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान
नहीं होगा पर मांग, चर्चा एवं मतदान विवाद
- 2- ०५-निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग,
चर्चा एवं मतदान -----
- 3- ०७-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा
सामान्य सेवार्य विभाग की अनुदान
पर मांग, चर्चा एवं मतदान -----
- 4- ०९-लोक सेवा आयोग की अनुदान
पर मांग, चर्चा एवं मतदान विवाद नहीं होगा
- 5- १०-पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान
पर मांग, चर्चा एवं मतदान -----
- 6- २१-ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग,
----- चर्चा एवं मतदान
- 7- शेष विभागों के अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान।
- 8- उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2003 का सदन की अनुज्ञा
से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
- 9- विधायी कार्य (सायं 5:00 बजे)।

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

लेखा शीर्षक-(2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
6. श्री कैलाश शर्मा,
7. श्री मदन कौशिक,
8. श्रीमती आशा नौटियाल,
9. श्री हरभजन सिंह चीमा,
10. श्री अजय भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री हरबंस कपूर,
13. काजी निजामुद्दीन,
14. श्री प्रेमानन्द महाजन,
15. मो० शहजाद,
16. श्री तसलीम अहमद,
17. श्री हरिदास,
18. चौ० यशवीर सिंह,
19. श्री काशी सिंह ऐरी,
20. श्री विपिन त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 08-आबकारी विभाग

लेखा शीर्षक-(2039-राज्य उत्पादन शुल्क, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. श्री प्रकाश पन्त, | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक |
| 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, | रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की |
| 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, | आलोचना करना तथा सुझाव देना। |
| 4. श्री कैलाश शर्मा, | |
| 5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, | |
| 6. श्री मदन कौशिक, | |
| 7. श्रीमती आशा नौटियाल, | |
| 8. श्री हरभजन सिंह चीमा, | |
| 9. श्री अजय भट्ट, | |
| 10. श्री अनिल नौटियाल, | |
| 11. काजी निजामुद्दीन, | |
| 12. मो० शहजाद, | |
| 13. श्री तसलीम अहमद, | |
| 14. श्री हरिदास, | |
| 15. चौ० यशवीर सिंह, | |
| 16. श्री प्रेमानन्द महाजन, | |
| 17. श्री काशी सिंह ऐरी, | |
| 18. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, | |
| 19. डा० नारायण सिंह जन्तवाल। | |

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्यय की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 26-पर्यटन विभाग

लेखा शीर्षक-(3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक |
| 2. श्री प्रकाश पन्त, | रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की |
| 3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, | आलोचना करना तथा सुझाव देना। |
| 4. श्री कैलाश शर्मा, | |
| 5. श्री मातबर सिंह कण्डारी, | |
| 6. श्री गोविन्द लाल शाह, | |
| 7. श्री मदन कौशिक, | |
| 8. श्रीमती आशा नौटियाल, | |
| 9. श्रीमती विजय बड़थवाल, | |
| 10. श्री हरभजन सिंह चीमा, | |
| 11. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, | |
| 12. श्री अजय भट्ट, | |
| 13. श्री अनिल नौटियाल, | |
| 14. श्री हरबंस कपूर, | |
| 15. काजी निजामुद्दीन, | |
| 16. मो० शहजाद, | |
| 17. श्री हरिदास, | |
| 18. श्री तसलीम अहमद, | |
| 19. चौ० यशवीर सिंह, | |
| 20. श्री प्रेमानन्द महाजन, | |
| 21. श्री काशी सिंह ऐरी, | |
| 22. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, | |
| 23. डा० नारायण सिंह जन्तवाल। | |